संख्या 162 /VI-3/2023-30(16)/2022

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार सोनकर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून : दिनांकः 10 मार्च, 2023**

विषयः मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–350/2022 के कियान्वयन/पूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–54/VI-3/2023–30(16)/2022, दिनांक 27 जनवरी, 2023 द्वारा पूर्व प्रचलित भोजन भत्ते की निर्धारित/स्वीकृत दर **रू0 175/– प्रतिछात्र/प्रतिदिन से रू0 225/– प्रतिछात्र/प्रतिदिन**, को खेल विभाग द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों/सदस्यों/ऑफिशियल/निर्णायकों का दैनिक मानदेय/भोजन भत्ता **रू0 250/– (रू. दौ सौ पचास मात्र) प्रतिदिन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।**

2– **उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27 जनवरी, 2023 के प्रथम प्रस्तर की छठी पंक्ति में खेल विभाग के अन्तर्गत संचालित** क्रीड़ा छात्रावासों एवं स्पोर्ट्स कॉलेजों के साथ ही, को टंकण त्रुटिवश उल्लिखित किया जाना अवशेष रह गया था, तद्नुसार उक्त पंक्ति में खेल विभाग द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों/सदस्यों/ऑफिशियल/निर्णायकों का दैनिक मानदेय/भोजन भत्ता रू0 250/– **(रू. दौ सौ पचास मात्र) प्रतिदिन किये जाने की स्वीकृति** के स्थान पर खेल विभाग के अन्तर्गत संचालित क्रीड़ा छात्रावासों एवं स्पोर्ट्स कॉलेजों के साथ ही खेल विभाग द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों/सदस्यों/ऑफिशियल/निर्णायकों का दैनिक मानदेय/भोजन भत्ता रू0 250/– **(रू. दौ सौ पचास मात्र), पढ़ा जाय।**

3– **उपरोक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–54/VI-3/2023–30(16)/2022, दिनांक 27 जनवरी, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।**

4– **यह आदेश वित्त विभाग के** E-Office ID Number- I/102683/2023, Dated 27 Feb, 2023 **में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।**

भवदीय,

Signed by Jitendra Kumar Sonkar
Date: 10-03-2023 16:18:10

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।